

पत्रांक
सेवा में,

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अम्बेडकरनगर

2096 / 14-9,

दिनांक, अम्बेडकरनगर, अप्रैल 26

/2019

श्री नितिन जैन,
माई ओन ईको एनर्जी प्रा०लि०,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ।

विषय:-

जनपद अम्बेडकरनगर में माई ओन ईको एनर्जी प्रा०लि० द्वारा बहराइच-आजमगढ मार्ग (एन०एच०-30) के किमी० 166 से 167 के मध्य दायी पटरी पर स्थित गाटा संख्या-327 मि० ग्राम-तिवारीपुर, तहसील-अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर में प्रस्तावित बायो डीजल पम्प के रिटेल आउट लेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.091195 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 03 वृक्षों के पातन के अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन्य एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य) का पत्रांक संख्या 8वी/यू०पी०/06/26/2019/एफ.सी/37 दिनांक 10-04-2019 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 1985/11-सी-एफ.पी./यू.पी./अदर्स/35115/2018 दिनांक 22-04-2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो आपको एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, जिसके द्वारा माई ओन ईको एनर्जी प्रा०लि० द्वारा बहराइच-आजमगढ मार्ग (एन०एच०-30) के किमी० 166 से 167 के मध्य दायी पटरी पर स्थित गाटा संख्या-327 मि० ग्राम-तिवारीपुर, तहसील-अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर में प्रस्तावित बायो डीजल पम्प के रिटेल आउट लेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.091195 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 03 वृक्षों के पातन के अनुमति की कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः उक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के अनुपालन में बिन्दु संख्या-1 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं बिन्दु संख्या-2 के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से निम्न प्रकार आप द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है-

क्र० सं०	धनराशि का मद	कुल क्ष० हे० में	दर प्रति हे० रू० में	कुल धनराशि रू०में	किसके पक्ष में धनराशि जमा किया जाना है	भुगतान का शहर
1	2	3	4	5	6	7
1	संरक्षित वन भूमि का नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एन०पी०वी०)	0.091195	626000/	57088.00	आनलाइन चालान के माध्यम से कैम्पा के खाता में कालम-5 में अंकित धनराशि जमा करें।	नई दिल्ली
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि (100 पौघ)	0.091195	-	47260.00	आनलाइन चालान के माध्यम से कैम्पा के खाता में कालम-5 में अंकित धनराशि जमा करें।	नई दिल्ली

यह मूल्य अंतरिम है। शासन द्वारा अन्तिम दरें तय किए जाने पर अतिरिक्त धनराशि ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से देय होगी। संदर्भित पत्र द्वारा अपेक्षित शेष अन्य बिन्दुओं की अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 2501/11-सी दिनांक 24-05-2016 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार भरकर (प्रपत्र संलग्न है) एवं उपरोक्त धनराशि जमा किए जाने की पावती रसीद सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक: संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

भवदीय,

(सिंगा प्रसाद)

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग अम्बेडकरनगर